



125

Academic

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग  
(अनुभाग-1)

क्रमांक:- प.10(1) प्रसु/अनु-1/2012

जयपुर, दिनांक 13/11/201

आदेश

DSHE/JSHE  
DTE

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ति वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार के समस्त विभागों/बोर्डों/निगमों/आयोगों/कार्यालयों में समस्त राजकीय दस्तावेजों यथा सरकारी वेबसाइटों, ई-मेल, राजकीय स्टेशनरी, कलेण्डर, सरकारी विज्ञापनों एवं विज्ञापन सामग्री, डिजिटल हस्ताक्षर, अ.शा. पत्रों, राज्य परिवहन के राजकीय साधनों, बसों, राज्य की विभिन्न ट्रेनों, मेट्रो रेल आदि में "Gandhi 150 logo" का उपयोग किया जाना है। यह logo संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट <http://gandhi.gov.in> से download/Copy कर उपयोग किया जा सकता है।

अतः समस्त संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन समस्त विभागों/बोर्डों/निगमों/आयोगों/कार्यालयों में समस्त राजकीय दस्तावेजों में "Gandhi 150 logo" का उपयोग आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावे।

कार्यालय शासन सचिव

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर

दायरी संख्या

दिनांक

856

PS/CSH/9

Dated 15/11/19

- 54 -

(डी.बी.गुप्ता)

मुख्य सचिव

J.D. Adm  
15/11/19

Shawmaji

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव [अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय]
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर-प्रचार प्रसार हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

18.11.19

18.11.19

3784  
18.11.19

प्रमुख शासन सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 8(सा.प्रा.) अकाद/आकाशि/2018/456-460

दिनांक : 20/11/19

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर
5. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक, अकादमिक